न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22/2018 प्रार्थना पत्र

1. धर्मपाल पुत्र सोहनलाल साधु निवासी सांगरिया 2. शिवराज पुत्र सोहनलाल साधु निवासी सांगरिया 3. त्रिलोक पुत्र सोहनलाल साधु निवासी सांगरिया 4. टम्मू पुत्री सोहनलाल साधु निवासी सांगरिया 5. श्रीमती कमला पत्नी सोहनलाल साधु निवासी सांगरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –प्रार्थीगण	बनाम	1. 2.	घीसालाल पुत्र रामचन्द्र दास बैरागी निवासी सांगरिया राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा – विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.प्र.स.

उपस्थित –

1. श्री कुणाल ओझा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री एस. एल. आगाल अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 25.04.2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण सं. आ0नि0 37/2011 में दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थीगण के परिवार में कार्यक्रम होने से न्यायालय में उपस्थित नही हो सके एवं अधिवक्ता भी भीलवाडा से बाहर होने से पेशी पर न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हो सके। जिससे प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थीगण ने उक्त वाद बाबत् धारा 17 ए उपनिवेशन का विपक्षीगणों के विरूद्ध पेश किया है। यदि वाद पुनः नम्बर (प्रत्यावर्ती) नही किया तो प्रार्थीगणों को अत्यधिक क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगणों को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराने की आज्ञा प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.03.2018 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 06 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि इस न्यायालय के प्रकरण सं. आ0नि0 37/2011 में दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थीगण के परिवार में कार्यक्रम होने से न्यायालय में उपस्थित नही हो सके एवं अधिवक्ता भी भीलवाडा से बाहर होने से पेशी पर न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हो सके। जिससे प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

किया गया। प्रार्थीगण ने उक्त वाद बाबत् धारा 17 ए उपनिवेशन का विपक्षीगणों के विरूद्व पेश किया है। यदि वाद पुनः नम्बर (प्रत्यावर्ती) नही किया तो प्रार्थीगणों को अत्यधिक क्षति होगी। निवेदन है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगणों को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराने की आज्ञा प्रदान करावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कॉलम सं. 02 में बताया कि प्रार्थीगण दिनांक 23.02.2017 से अपने अधिवक्ता से मिले तो प्रार्थी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे एवं जब अधिवक्ता से मिले तो अधिवक्ता महोदय बाहर कैसे हो सकते है? प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया कि क्षति कैसे होगी? प्रार्थीगण ने 01 वर्ष 10 दिन अर्थात 375 दिन बाद यह प्रार्थना पेश किया जो कानुनन मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने कोई शपथपत्र पेश नही किया जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रार्थी का प्रकरण भूमि आवंटन निरस्तीकरण का होकर दिनांक 01.11.2011 से ही चल रहा है। प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 13.02.2015 से ही बहस में नियत होकर चलने पर भी प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता दिनांक 23.02.2017 को उपस्थित नही हुये। जिससे प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.02.2017 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता के शहर भीलवाडा के बाहर होने से उपस्थित नही हो सके। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। जबकि विपक्षी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र ने खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने के एक वर्ष पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया है जो मियाद के बिन्दु पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र खारिज कराया जाये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्य एवं लघु सिंचाई परियोजना) राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1975 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के नाम पर ग्राम सांगरिया के आराजी नं. 1872 में से 0.50 हैक्ट. के आवंटन को प्रार्थीगण का कब्जा होने से आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रार्थी का भूमि आवंटन के संबंध में आक्षेप होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.प्र.सं. को 500/–रूपये की कोस्ट पर स्वीकार करते हुए प्रकरण सं. 37/2011 निर्णय दिनांक 23.02.2017 को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिये जाते है।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)